संख्या-224/2016/1169/22-2-2016-17(177)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शकील पुत्र श्री शमशेर खां, निवासी-जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22874/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/08-07-2016 दिनांक 22-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शकील पुत्र श्री शमशेर खां, निवासी- ग्राम-नई बस्ती नारमल स्कूल के पास, कस्बा व थाना-छिबरामऊ जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी द्वारा गश्त का विरोध करने पर दिनांक 17-07-1997 को बन्दी ने चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-380/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2, कन्नौज द्वारा दिनांक 08-09-2008 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी को कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.01.2016 तक 08 वर्ष 04 माह 18 दिन की अपरिहार एवं 10 वर्ष 09 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 43 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने एवं बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना एवं जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थन प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। दयायाचिका समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी शकील(बन्दी संख्या-23637) पुत्र श्री शमशेर खां, निवासी-जनपद-कन्नौज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-224/2016/1169/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।